

प्रेषक,

अभय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
 गोमती नगर लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष वाटरशेड सेल कम डाटा सेल

जनपदः— अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूँ बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़, अमरोहा, सम्बल, कन्नौज, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखमीपुर-खीरी, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्त कबीरनगर, सन्त रविदासनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फरुखाबाद, गोण्डा, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, ललितपुर, अमेठी तथा महोदा।

परती भूमि विकास विभाग

लखनऊ दिनांक: ०१ सितंबर, २०१४

विषयः समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) योजना के अभिलेखों के सी०एण्ड०ए०जी० से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पैनल से लेखा परीक्षण कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक स्वीकृत परियोजनाओं के डब्ल्यू०सी०डी०सी०/पी०आई०ए०/डब्ल्यू०सी० स्तर का वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 31.03.2014 तक किये गये व्ययों के लेखा अभिलेखों का ऑडिट कराये जाने के लिए भारत सरकार के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक से अनुमोदित निम्न 19 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का पैनल निर्धारित किया जा रहा है, जो 20 अक्टूबर 2014 तक प्रत्येक दशा में उनकों आबंटित जनपदों के डब्ल्यू०सी०डी०सी०/पी०आई०ए०/डब्ल्यू०सी० का ऑडिट कराकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी को प्रेषित करेंगे।

एसएलएनए से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का विवरण

क्र०	फर्म का नाम	फोन नम्बर	ई-मेल पता / वेबसाईट	अंकेक्षण हेतु निर्धारित जनपद
1	2	3	4	5
1.	हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फ्लैट नं० १, डालीबाग अपार्टमेन्ट, बटलर रोड, डालीबाग लखनऊ-०१	0522-3014582	kklalchandani@yahoo.com	महराजगंज सन्त कबीर नगर बहराइच श्रावस्ती
2.	गुप्ता एण्ड शाह, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 2 नव भारत निकेतन 3ए/246,	0521-2560236, 3259221,	gupta.shan@gmail.com	फिरोजाबाद मैनपुरी

	आजाद नगर, कानपुर- 208002	9336115333		अलीगढ़ हाथरस फर्लखाबाद
3.	सी०ए० अजय कुमार वर्मा, अग्रवाल एण्ड सक्सेना, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 224-ए, सहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016	9838506093	boagasax@gmail.com	महोबा, कन्नौज झाँसी
4.	संजीव श्रीराम वर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 204, द्वितीय तल शालीमार स्क्वायर 126 / 31, बी.एन. रोड, लालबाग लखनऊ-226001	0522-2202497, 2202498	taxverma@rediffmail.com taxverma@gmail.com	बागपत बुलन्दशहर आगरा मथुरा
5.	एस. श्रीवास्तवा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 2 / 165, विजय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ 226010	8960533533, 9839101533, 8960005533, 0512-2354933	ss_fca@rediffmail.com ssavoloco.ca@gmail.com	इलाहाबाद कौशाम्बी फतेहपुर प्रतापगढ़
6.	एस.एन. कपूर एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 311 विनय पैलेस, 11 अशोकमार्ग, लखनऊ- 226001	0522-2286511, 2286381	snkapur.associates@gmail.com	आजमगढ़ मऊ बलिया वाराणसी
7.	विनोद कुमार गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, ब्लॉक नं० 31 / एफ / 9 अपोर्टिट, एल.आई.सी. बिल्डिंग, संजय पैलेस आगरा-282002	9837265958		हमीरपुर कानपुर देहात
8.	राजीव नन्दन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 301-ए, द्वितीय तल गोविन्दा अपार्टमेंट, 1-ए शाहनजफ रोड, लखनऊ।	0522-3291377, 6460329	Pawan_ca2@rediffmail.com	जालौन कानपुर नगर
9.	एस.के. कपूर एण्ड कम्पनी, यू.जी. -34, पालिका बाजार, कपूरथला अतीगंज, लखनऊ।	0522.4101976, 9415027319	Lalit.fcac@rediffmail.com	चन्दौली गाजीपुर जौनपुर सुल्तानपुर अमेरठी
10.	एन.ए. सिद्धीकी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 45-46, एच.ए. विहार, इन्दिरानगर, लखनऊ।	0522-2702897	Nasiddigaico@gmail.com	रायबरेली बाराबंकी फैजाबाद अम्बेडकर नगर
11.	असीजा एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 34 / 5 प्रथम तल, गोखलेमार्ग, लखनऊ।	0522-4004652, 9559990003	Kamal.ferwani@asija.in	बाँदा सम्भल
12.	मे० संदीप एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, जी-५९ ए, संजय गांधी पुरम, पी.ओ. इन्दिरानगर, लखनऊ।	9838562262	Salish_62262@rediffmail.com	बिजनौर अमरोहा, मेरठ, हापुड़ रामपुर, मुरादाबाद, बदाँयू
13.	अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स (सीए) एफ-10	0522-2207756	avanishca@yahoo.com	ललितपुर सहारनपुर

	खुशनुमा कॉम्पलेक्स, टीआरएफ बहादुर मार्ग, नियर स्टेट गेस्ट हाऊस, लखनऊ।			मुजफ्फरनगर
14.	लक्ष्मी तृप्ती एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 556 / 26 सुजानपुरा, आलमबाग, लखनऊ।	9451897708	ltaca.lko@gmail.com	मिर्जापुर सोनभद्र संत रविदास नगर
15.	विनय कुमार एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, द्वितीय तल , 3 / सी 5 पार्क रोड, लखनऊ।	0522-4064647	Nikhilko@gmail.com	बलरामपुर लखीमपुर खीरी गोण्डा सिद्धार्थ नगर
16.	धवन एण्ड मदन, चार्टर्ड एकाउन्टेंट,, प्रथम तल, हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड हजरतगंज, लखनऊ।	0522-2238346, 3252900, 4066612	dhawan.madan@gmail.co m dhawan.madan@yahoo.c o.in dhawan.madan@icai.org	ओरया बरेली शाहजाहापुर पीलीभीत
17.	पाण्डेय एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट,, 24 / 24, करांची खाना, कानपुर- 208001	9415079234	pandeycompany@gmail.c om	एटा ईटावा चित्रकूट
18.	पी.एस. भारवा एण्ड कम्पनी , चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 567 / 166, आनन्द नगर, लखनऊ।	0522-226004, 2451875	bhargava_sk@rediffmail.c om	लखनऊ सीतापुर उन्नाव हरदोई
19.	मेसर्स अनूप अग्रवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट,14-साकेत नगर, लच्छीपुर, पीओ गोरखनाथ, गोरखपुर।	0551-2260693	caanoopagrawal@gmail.c om	गोरखपुर देवरिया कुशीनगर बरती

वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 ,2011–12 2012–13 तथा 2013–14 में स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष 2013–14 का ऑडिट करते समय निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा—

1. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम का परियोजनावार ऑडिट सम्पन्न कराया जायेगा ।
2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर / पी0आई0ए0 / डब्ल्यू0सी0 का सम्प्रेक्षण करते समय अलग—अलग सम्प्रेक्षण रिपोर्ट डब्ल्यू0सी0डी0सी0 को प्रेषित की जायेगी । अध्यक्ष / परियोजना प्रबन्धक से हस्ताक्षर कराकर सम्प्रेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित रिपोर्ट अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित कर स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेगे ।
3. वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी, परियोजना कार्यदायी संस्था एंव वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) के वास्तविक व्ययों की ही सम्प्रेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये अग्रिम के रूप में व्यय की धनराशि को वास्तविक व्यय में सम्मिलित न किया जायें ।
4. प्रत्येक स्तर पर संचालित परियोजना फण्ड खातें पर प्राप्त ब्याज का उल्लेख सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में अलग—अलग किया जाय ।
5. उपयोगिता प्रमाण पत्र एंव सम्प्रेक्षण रिपोर्ट वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) के प्राधिकृत अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करते हुए स्टेट लेवेल

नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र एंव सम्प्रेक्षण रिपोर्ट एक दूसरे के समरूप होनी चाहिये।

6. भारत सरकार द्वारा निर्गत कामन गाइड लाइन 2008 एंव 2011 के प्राविधानों एंव भारत सरकार एंव स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी द्वारा निर्गत निर्देशों के विचलन के संदर्भ में वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी, पीआईए एंव वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) हेतु अलग से सम्प्रेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायें तथा उसकी अनुपालन आख्या वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) के माध्यम से स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित की जायें।
7. सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में मदवार व्यय विवरण (प्रशासनिक व्यय, ई0पी0ए0, सी0बी0, डी0पी0आर0 वाटरशेड व्यय, लिवलीहुड, प्रशिक्षण, पर व्यय, प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज आदि), बैलेश शीट आय-व्यय का विवरण, प्राप्ति एंव भुगतान का विवरण, बैंक समाधानीकरण, तैयार किया जायेगा।
8. आडिट रिपोर्ट चार प्रतियों में डब्ल्यू0सी0डी0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्ल्यू0सी0डी0सी0 द्वारा दो प्रतियों में आडिट रिपोर्ट एंव वार्षिक यू0सी0, प्रति हस्ताक्षरित करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी भूमि विकास एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए/डब्ल्यूसी स्तर पर आडिट कराने के लिए पूर्व में शासनादेश सं0 1072(1)/54-1711-8(5)/2011 दिनांक 19.10.2011द्वारा जारी फीस के अनुसार ही ऑडिट फीस का भुगतान किया जायेगा।

कृपया प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करवायें।

भवदीय

(अभय)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेबिल नोडल
एजेन्सी

५१८

संख्या: SLDC / 54-1-11-8(5) / 2014 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पैनल में सम्मिलित उपरोक्त समस्त 19 चार्टड एकाउन्टेंट्स फर्मों को पालनार्थ।
2. कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वित्तीय सलाहकार शारदा / रामगंगा सहायक समादेश।
4. श्री संदीप दवे, संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, 11वाँ ब्लाक, छठा तल, नई दिल्ली।
5. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं परती भूमि विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक / भूमि संरक्षण अधिकारी / उप निदेशक को इस निर्देश से कि संबंधित चार्टड एकाउन्टेंट को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते हुए ऑडिट करवायें तथा ऑडिट व्यय का भुगतान प्रशासनिक मद से कराना सुनिश्चित करें।
8. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23-सी, गोखलेमार्ग लखनऊ।
9. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
10. समस्त उपनिदेशक / भूमि संरक्षण अधिकारी को उनके प्रशासक के माध्यम से प्रेषित।
11. प्रशासनिक अधिकारी, एस०एल०डी०सी० ८वाँ तल एल्डिको टावर, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाइल।

Abhay
(अभय)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी